भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1560

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

बदायूं में युवाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण

1560. श्री आदित्य यादव:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में युवाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, सीमित महिला केन्द्रित उद्यमिता कार्यक्रमों, पूर्व अधिगम प्रमाणपत्रों की मान्यता (आरपीएल) की अपर्याप्तता, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी के बाजार से जोड़ने में चुनौतियां, तत्काल रोजगार के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम और स्थानीय प्रशिक्षक विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश में कुछ अंतर मौजूद है और राष्ट्रीय कौशल मिशनों के साथ संरेखित विस्तारित पहुंच की क्या आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो हाल के वर्षों के दौरान उक्त जिले में सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल और रोजगार लिंकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को, जिनमें उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला भी शामिल है, कौशल, पुनर्कौशल एवं उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, परिवहन और आवास एवं भोजन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के साथ-साथ नियुक्ति के बाद बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन पर विशेष ध्यान देता है जिनमें महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, सौंदर्य एवं

वेल्नेस, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार संरचित किए गए हैं ताकि महिलाओं की अधिक भागीदारी को आकृष्ट किया जा सके। परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के अनुरूप बनाया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने और उनसे लाभ उठाने के अवसर मिल सकें। इसके अलावा, एनएपीएस योजना में, सेवा क्षेत्र में ट्रेडों (वैकल्पिक ट्रेडों) की शुरुआत से शिक्षुता में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जेएसएस योजना के तहत महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसएस के लाभार्थियों में 80% से अधिक महिलाएं हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए विशेष रूप से 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से अधिक आईटीआई हैं।

निस्बड ने मेटा के सहयोग से डिजिटल मार्केटिंग कौशल पर चार ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये पाठ्यक्रम स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर होस्ट किए गए हैं। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से कुल 13,213 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें 2,436 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश से कुल 2,757 प्रतिभागियों को इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) घटक, शिविरों और नियोक्ता-आधारित परियोजनाओं जैसे लचीले कार्यान्वयन तरीकों के साथ-साथ ब्रिज कौशलोन्नयन के माध्यम से महिलाओं सहित उम्मीदवारों के मौजूदा कौशल के आकलन और प्रमाणीकरण पर केंद्रित है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में, कौशल विकास की बढ़ती मांग को पूरा करने और सीमित आजीविका के अवसरों की समस्या का समाधान करने के लिए, स्थानीय क्षेत्र से मास्टर प्रशिक्षक और प्रशिक्षक, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, की पहचान की गई है और उन्हें कृषि, खुदरा, ग्रीन जॉब, परिधान, विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। स्थानीय भाषा की दक्षता और प्रासंगिक समझ का लाभ उठाते हुए उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया गया है और जिला स्तर पर प्रशिक्षकों का आधार बढ़ाया गया है।

बदायूं जिले में वर्तमान में 2 महिला प्रशिक्षक सहित कुल 9 प्रमाणित प्रशिक्षक उपलब्ध हैं, जो विभिन्न जॉब रोल्स में कौशल विकास पहलों का समर्थन करते हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पीएमकेवीवाई के आरपीएल घटक के तहत कुल 4,196 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जो जिले में योजना के प्रावधानों के उपयोग को दर्शाता है।

बदायूं जिले में एनएपीएस-2 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में विद्युत (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), आईटी-आईटीईएस, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई), कृषि और खुदरा क्षेत्र शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) की अवधि के दौरान राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना - 2 (एनएपीएस-2) के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2,88,612 प्रशिक्षुओं को नियोजित किया गया है। इनमें से 560 प्रशिक्षु बदायूं जिले में नियोजित किए गए थे।

एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) शुरू किया है, जो एक एकीकृत मंच है जो प्रमुख हितधारकों को जीवन भर चलने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए कौशलीकरण, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इको-सिस्टम को एकीकृत करता है। संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। सिद्ध के ज़रिए उम्मीदवार रोज़गार और प्रशिक्षुता के अवसरों तक पहुँच सकते हैं।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई के तहत रोजगार लिंकेज को सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) और जिला कौशल समितियों (डीएससी) सहित संस्थागत तंत्रों के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। एसएससी प्रशिक्षण सामग्री, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों और योग्यता पैकेजों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करते हैं और नियोक्ताओं की सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। जिला स्तर पर, डीएससी रोजगार, शिक्षुता के अवसरों और नियोक्ता लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्योगों और संकुलों के साथ समन्वय करते हैं।

*****